न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 176 / 2026

ऋषि सुलतानिया, पता फ्लेट नं0 002, ए विंग, बी—55, राधिका सीएचएस, गोकुलधाम, गोरेगांव ईस्ट, पिन कोड 400063, मो0नं0 7023951335

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 04.05.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.04.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 176 / 2026 पर दिनांक 22.04.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2025 / 1246—1247 दिनांक 23.04.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 2026 / 565 दिनांक 28.04.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ऋषि सुलतानिया, पता फ्लेट नं0 002, ए विंग, बी—55, राधिका सीएचएस, गोकुलधाम, गोरेगांव ईस्ट, पिन कोड 400063 का ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक 348291204103062 दिनांक 15.03.2026 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5) न्याय / सू0अ0 / 2026 / 163 दिनांक 13.04.2026 के द्वारा आवेदन मे वर्णित बिन्दू संख्या 1 व 2 के संबंध मे किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय मे उपस्थित होकर सूचना का अवलोकन कर सूचना चिन्हित कर निर्धारित शुल्क जमा करवाये जाने उपरान्त सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया जा चुका है तथा बिन्दू सं0 3 व 4 मे चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 2026 / 565 दिनांक 28.04.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ऋषि सुलतानिया, पता फ्लेट नं0 002, ए विंग, बी—55, राधिका सीएचएस, गोकुलधाम, गोरेगांव ईस्ट, पिन कोड 400063 का ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक 348291204103062 दिनांक 15.03.2026 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5) न्याय / सू0अ0 / 2026 / 163 दिनांक 13.04.2026 के द्वारा आवेदन मे वर्णित बिन्दू संख्या 1 व 2 के संबंध मे किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय मे उपस्थित होकर सूचना का अवलोकन कर सूचना चिन्हित कर निर्धारित शुल्क जमा करवाये जाने उपरान्त सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया जा चुका है तथा बिन्दू सं0 3 व 4 मे चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी को बिन्दू संख्या 1 व 2 के संबंध मे किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय मे उपस्थित होकर सूचना का अवलोकन कर सूचना चिन्हित कर निर्धारित शुल्क जमा करवाये जाने उपरान्त सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया जा चुका है तथा बिन्दू सं0 3 व 4 मे चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 04.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं